



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092023-249024  
CG-DL-E-27092023-249024

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 549]  
No. 549]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 2023/आश्विन 5, 1945  
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2023/ ASVINA 5, 1945

गृह मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. 693(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (आसूचना अधिकारी) समूह "ख" (अराजपत्रित, अननुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2021 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (आसूचना अधिकारी) समूह "ख" (अराजपत्रित, अननुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2023 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (आसूचना अधिकारी) समूह "ख" (अराजपत्रित, अननुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2021 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है -  
(i) प्रारंभिक अनुच्छेद में, "आसूचना अधिकारी (समूह "ख" अराजपत्रित, अननुसचिवीय) के पद" शब्द के स्थान पर "निरीक्षक" शब्द रखे जाएंगे;  
(ii) नियम (1) में उप-नियम (1) में, कोष्ठक और शब्द "(आसूचना अधिकारी)" के स्थान पर, कोष्ठक और शब्द "निरीक्षक" रखे जाएंगे।
3. उक्त नियमों में, अनुसूची में,-

- (i) स्तम्भ (1) में, "आसूचना अधिकारी" शब्द के स्थान पर, "निरीक्षक" शब्द रखा जाएगा;
- (ii) स्तम्भ (2) में, अंक और कोष्ठक "189\* (2021)" के स्थान पर, अंक और कोष्ठक "239\* (2023)" रखे जाएंगे;
- (iii) स्तम्भ (11) में उप-शीर्षक (पदोन्नति) के अधीन, "कनिष्ठ आसूचना अधिकारी" शब्द के स्थान पर, "उप-निरीक्षक" शब्द रखे जायेंगे ;
- (iv) स्तम्भ (12) में , क्रम संख्या (3) पर, "उप निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो-सदस्य", प्रविष्टि के स्थान पर "उप सचिव या निदेशक (आंतरिक सुरक्षा-II प्रभाग), गृह मंत्रालय-सदस्य" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

[फा. सं. I-12014/55/2017-एनसीबी-II]

प्रशांत सीताराम लोखंडे, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 21 दिसम्बर, 2021 अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 871(अ), तारीख 11 सितंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122021-232059  
CG-DL-E-22122021-232059

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 712]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 21, 2021/अग्रहायण 30, 1943

No. 712]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 21, 2021/AGRAHAYANA 30, 1943

गृह मंत्रालय

(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 871(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, आसूचना अधिकारी (समूह "ख" अराजपत्रित, अननुसचिवीय पद), भर्ती नियम, 2012, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में आसूचना अधिकारी (समूह "ख" अराजपत्रित, अननुसचिवीय) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (आसूचना अधिकारी) समूह "ख" (अराजपत्रित, अननुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2021 है।  
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रदत्त होंगे।
2. पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में निर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य अर्हताएं, आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य विषय उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में निर्दिष्ट हैं।

## 4. निरर्हता :- वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम      | पदों की संख्या                                                   | वर्गीकरण                                                | वेतन मेट्रिक्स में स्तर         | चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए आयु सीमा |
|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| (1)            | (2)                                                              | (3)                                                     | (4)                             | (5)              | (6)                                          |
| आसूचना अधिकारी | 189*<br>(2021)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित, अननुसचिवीय। | स्तर- 7<br>(44900-142400 रुपये) | चयन पद।          | लागू नहीं।                                   |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति- भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (7)                                                                            | (8)                                                                                                                         | (9)                            | (10)                                                                                                                                           |
| लागू नहीं।                                                                     | लागू नहीं।                                                                                                                  | लागू नहीं।                     | (i) 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा; तथा<br>(ii) 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।                                        |



34  
(102)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है                                                                                                                                                                                                                       | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
| (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (12)                                                                                                                                                                                                                                                                        | (13)                                                                        |
| <p><b>प्रोन्नति:</b></p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के कनिष्ठ आसूचना अधिकारी या वरिष्ठ तकनीकी सहायक या तकनीकी सहायक के ग्रेड में पाँच वर्षों की नियमित सेवा तथा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित संबंधित क्षेत्र में छह सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो तथा सरकारी अस्पताल द्वारा की जाने वाली चिकित्सीय जांच पूरी की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची को संबंधित ग्रेड या पद में विनिर्दिष्ट अर्हकारी सेवा के अधिकारियों द्वारा समापन तिथि के संदर्भ में तैयार क्या जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:-</b></p> <p>केंद्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रूपए) अथवा समतुल्य में पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो, और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों-</p> <p><b>आवश्यक:</b> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की डिग्री और</p> <p>(ii) विनियामक विधियों के प्रवर्तन और इससे संबंधित आसूचना के संग्रहण में तीन वर्ष का अनुभव:</p> <p><b>वांछनीय :</b> (i) आर्थिक अपराधों या दांडिक अपराधों के अन्वेषण में एक वर्ष का अनुभव।</p> | <p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार हेतु) में निम्न सम्मिलित होंगे:</p> <p>(1) उप महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (मुख्यालय) -अध्यक्ष</p> <p>(2) उप निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो -सदस्य</p> <p>(3) सहायक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - सदस्य</p> | <p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>                    |

**टिप्पण:-1.** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

**टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर - बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[फा. सं. 1-12014/55/2017-एन.सी.बी.-II]

सुनील कुमार वर्णवाल, संयुक्त सचिव